मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्र.एफ 25/196/2000/पी.डबल्यू.सी./चार — भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2000

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण में आने वाली कठिनाईयां।

लंबित पेंशन प्रकरणों की संभागवार समीक्षा के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि लंबित प्रकरणों में अनेक प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों के विरूद्ध वसूली की स्थिति उत्पन्न होने के कारण पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में जितनी वसूली उपादान एवं पेंशन पर देय राहत से संभव हो उसे छोड़कर शेष वसूली की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की जानी चाहिए। ऐसी वसूली के लिए विभाग सिविल प्रकरण दर्ज कराकर संबंधित की संपत्ति से शेष वसूली कर सकता है।

2. पेंशन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान यह भी तथ्य ध्यान में आया है कि पी.पी.ओ. जारी होने के बाद भी विभाग द्वारा प्रत्याशित पेंशन को भुगतान बंद नहीं किया जाता जिस कारण सेवानिवृत कर्मचारी पेंशन का भुगतान लेने हेतु कोषालयों में उपस्थित नहीं होते। ऐसी स्थिति में पी.पी.ओ. जारी होने के दो माह की समयावधि में प्रत्याशित पेंशन का भुगतान विभाग द्वारा बंद करना चाहिए! जिन प्रकरणों में भुगतान बंद न करने की स्थिति पाई जाती है उनमें संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी से इस प्रकार भुगतान की गई प्रत्याशित पेंशन राशि की वसूली की जाने की कार्यवाही की जावे।

3. अत: अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाए ताकि लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण में आने वाली कठिनाईयों को दूर किया जा सके एवं पेंशन प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाना संभव हो सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

हस्ता/-
(अशोक दास)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क्र.एफ 25/196/2000/पी.डबल्यू.सी./चार — भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर, 2000

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन, भोपाल ।
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
4. रजिस्ट्रार ज़नरल उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
5. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर ।

7. विशेष सहायक, उपमुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. निज सचिव/निज सहायक, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म0प्र0 भोपाल
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल
11. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
12. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
13. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
14. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल
16. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखा अधिकारी) वल्लभ भवन, भोपाल ।
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर मंत्रालय, भोपाल
19. अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
21. अध्यक्ष, म.प्र. पेंशनर्स एसोसियेशन, बंगलौर, कर्नाटक
22. समस्त संयुक्त संचालक कोष लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
23. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश ।
24 सभी कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
25 सदस्य पेंशनर कल्याण मण्डल
26 निगरानी प्रकोष्ठ मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल
27 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
(के.एन. पंत)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

शाकेमुभो—1709—उसविवि—19-12-02—300.